संख्या: 29 / XV-1/18/1(12)/16

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 22 जनवरी, 2018

विषय: उत्तराखण्ड राज्य में बद्री गाय के संरक्षण एवं संवर्द्धन योजनान्तर्गत राजस्व पक्ष के कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1524 / नि०–5 / एक(43) / बद्रीगाय / 2017-18 दिनांक 17 जून, 2017 एवं पत्र संख्या–4729 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उत्तराखण्ड राज्य में बद्री गाय के संरक्षण एवं संवर्द्धन योजनान्तर्गत प्राविधानित **₹70.00 लाख (₹सत्तर लाख)** के सापेक्ष **₹39.96 लाख(उन चालीस लाख छियानब्बे हजार मात्र)** की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ व्यय हेतु निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र०सं०	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)
1.	50 गाय @ 20000 प्रति (यातायात व्यय सहित)	10.00
2.	4 गाय सांड @ 25000 प्रति (यातायात व्यय सहित)	1.00
3.	50 पशुओं हेतु चारा / दाना एवं 05 कार्मिक के मानदेय / पशुओं हेतु औषधि हेतु	28.36
4.	डाटा कम्प्यूटरीकरण(मेन्टीनेन्स, स्टेशनरी, प्रिन्टिंग मेन्टीनेन्स)	0.60
	कुल योग–	**39.96**

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–9 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समकक्ष स्तर से स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(5) वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।

(6) बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी०एम०-10 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूने हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय,अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे

(7) प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग-1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(8) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता/दुरूपयोग/ दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

(9) उपकरण/सामग्री, जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से आच्छादित है, का क्रय एवं आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-08-बद्री नस्ल की गायों के संरक्षण एवं संवर्धन की योजना(नरियालगांव)-42 अन्य व्यय के नामे डाला जाये।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्याः 99 (1) /XV-1/ 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी,चम्पावत, उत्तराखण्ड
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,चम्पावत उत्तराखण्ड।
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चम्पावत, उत्तराखण्ड
6. वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग।
7. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी०एम०मिश्र)